वर्ष 4, अंक 87 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

दिसम्बर 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है। महिलाओं को राजनीतिक पहचान देने की सभी बड़ी राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता के बावजूद, संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक संसद के शरदकालीन सत्र की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

महिलाओं के आरक्षण के मामले पर प्रधानमंत्री के बारंबार आश्वासन तथा सभी राजनीतिक दलों के मीठे-मीठे वायदों के बाद भी इस विधेयक को संसद की कार्य-सूची में नहीं रखा गया जिसका ऊपरी कारण यह बताया गया कि इस पर मतैक्य बनाने के लिए गृह तथा विधि मंत्रालयों के स्तर पर एवं राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

इस प्रकार, अब यह स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक दल इस विधेयक को संसद में पारित कराने के मामले में गंभीर नहीं है तथा संसद का पुरुष वर्ग संसद में अपने स्थानों को बचाने के लिए इस विधेयक से सदा पीछे हटता रहेगा। यदि तीनों बड़े दल - कांग्रेस, भाजपा तथा वाम मोर्चा - इस पर एक साथ हो जाते, तो बहुत पहले ही यह विधेयक एक वास्तविकता बन जाता।

इन तीनों दलों के सदस्यों की संख्या से संसद में दो-तिहाई बहुमत बन जाता है जो किसी भी अन्य राजनीतिक दल के समर्थन के बिना कोई भी विधेयक पारित कर सकता है।

यह वास्तव में बड़े शर्म की बात है कि देश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत होने के बावजूद भी संसद में केवल 8.2 प्रतिशत

चर्चा में **महिला आरक्षण विधेयक**

महिलाएं हैं। राज्यों की हालत और भी बदतर है। राज्य विधान सभाओं में निर्वाचित महिलाओं का औसत प्रतिशत मात्र 6.62 है।

इसकी तुलना में, पाकिस्तान में 22 प्रतिशत तथा अफगानिस्तान में 27.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं। नेपाल ने आगामी निर्वाचन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों की घोषणा कर दी है। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस में 20 प्रतिशत से अधिक महिला सांसद हैं।

विश्वपर्यंत, जिन देशों में कोटा निर्धारित है, वहां महिलाओं का उच्च संख्या में प्रतिनिधित्व है। यूनिसेफ की 'विश्व में बच्चों की दशा' पर 12 दिसम्बर, 2006 को जारी की गयी रिपोर्ट में - जिस पर लिंगभेद पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है - महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक आरक्षण की प्रभावोत्पादकता का महत्व दर्शाया गया है। जिन 20 देशों की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30 प्रतिशत से अधिक है, उनमें से 17 कोटा प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं।

इसलिए, संसद में विधेयक को प्रस्तुत किए जाने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए तथा इस विधेयक पर एक और सर्व-दलीय बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विगत वर्षों में ऐसी कई बैठकें की जा चुकी हैं। समय की पुकार इस मुद्दे को वरीयता के आधार पर लेने की और संसद में इसका पारण आश्वस्त करने की है। यह विधेयक भारत में न केवल निर्वाचन राजनीति में क्रान्ति लायेगा अपितु सामाजिक परिवर्तन का भी अग्रदूत होगा जिससे कि अरसे से चला आया भारतीय राजनीतिक प्रणाली का भेदभाव समाप्त होगा।

अब मामला सरकार के हाथ में है। किंतु यदि एकमत बनाने के समय तरह-तरह की आपत्तियां उठाई गयीं तो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। क्या सरकार ऐसी अनुमति दे सकती है? भारतीय महिलाएं, जो देश की जनसंख्या की लगभग आधी हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कब अपना स्थान ग्रहण करेंगी?

हरियाणा सरकार द्वारा की गयी पहलों का अनुकरण अन्य राज्य भी कर सकते हैं

- महिलाओं और बच्चों के विकास के मार्गदर्शन के लिए सभी गांवों में **महिला समितियां** स्थापित की गयीं।
- महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता में आमूल परिवर्तन लाने के लिए **लाड़ली** योजना लागू की गयी। इस योजना के अंतर्गत, दूसरी लड़की के जन्म पर, माता तथा पुत्री दोनों को **5000 रुपये प्रति वर्ष का प्रोत्साहन 5 वर्ष तक** दिया जायेगा।
- दो पुत्रियों के माता-पिता के लिए **लाड़ली सामाजिक सुरक्षा** पेंशन स्कीम प्रारम्भ की गयी।
- महिलाओं के नाम सम्पत्ति का हस्तांतरण करते समय, पंजीकरण में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर **2 प्रतिशत की छूट** दी जायेगी।
- अध्यापन में **33 प्रतिशत** महिला अध्यापिकाओं का आरक्षण।
- हरियाणा गृह-निर्माण बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले मकानों के आबंटन में महिलाओं के लिए **33 प्रतिशत** आरक्षण।
- तकनीकी संस्थाओं में लड़कियों के लिए **25 प्रतिशत** स्थानों का आरक्षण।

छत्तीसगढ़ में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा

राज्य में बाल विवाहों को रोकने तथा महिलाओं का दर्जा उठने के प्रयोजन से छत्तीसगढ़ सरकार ने विवाहों का पंजीकरण करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है।

बाबा बालनाथ आश्रम मामले की जांच

बाबा बालनाथ आश्रम, गाजियाबाद में लड़कियों को, जिनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, यातना, अवैध बंदीकरण तथा यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक समाचार चैनल के संवाददाता एवं ***स्टॉप*** तथा ***शक्तिवाहिनी*** नामक दो गैर सरकारी संगठनों ने राष्ट्रीय महिला आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने को कहा। सदस्या सुश्री मालिनी भट्टाचार्य दोनों गैर सरकारी संगठनों के साथ तुरंत आश्रम का मुआयना करने पहुंचीं। उन्होंने पाया कि -

- आश्रम में 60 से अधिक लड़कियां/महिलाएं हैं; इनमें से अधिकतर नाबालिग हैं; कुछ महिलाएं मानसिक रूप से रुग्ण हैं।
- दो लड़कियों ने बाबा द्वारा शारीरिक एवं यौन दुराचार किए जाने की शिकायत की।
- आश्रम में रहने वाले बच्चों की बहुतायत यद्यपि लड़कियों की है, तथापि वहां कोई महिला परिचारक नहीं है।
- औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि यह आश्रम मान्यताप्राप्त है और इसे बच्चों को रखने की अनुमति मिली हुई है या नहीं।
- आश्रम का स्थानीय प्रशासन से अच्छा सम्बन्ध बना प्रतीत होता है।
- यद्यपि एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी थी, किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयान नहीं लिए गये।
- बच्चों की डॉक्टरी परीक्षा नहीं कराई जाती।

सदस्या ने गाजियाबाद के जिलाधीश को एक आवेदन-पत्र दिया कि लड़कियों को सुरक्षित हिरासत के लिए इस आश्रम से हटा कर दिल्ली में *निर्मल छाया* में भेज दिया जाये ताकि राष्ट्रीय महिला आयोग समुचित निगरानी रख सके। अगले दिन जब अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास सदस्या के साथ आश्रम पहुंची तो लड़कियों को वहां से निकालने की कार्यवाही की गयी। लड़कियों से बात करने के बाद अध्यक्षा ने जोर दिया कि सभी लड़कियों की निवास व्यवस्था एक ही स्थान पर की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों को मथुरा में भेजे जाने का निर्णय लिया। पुलिस द्वारा एक एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और अगले दिन बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मुख आयोग ने एक शपथ-पत्र में निम्नलिखित सिफारिशें कीं :-

- जब तक कि अधिकारीगण न्यायालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त न करें, लड़कियों को किसी भी स्थिति में रिहा न किया जाये।
- मुकदमा एक त्वरित न्यायालय द्वारा चलाया जाये और यह मामला दिल्ली में किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाये।
- उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा न्यायालय को एक सम्पूर्ण पुनर्वास योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। अन्यथा, आयोग एक योजना तैयार कर न्यायालय को प्रस्तुत कर सकता है।

बाद में, राष्ट्रीय महिला आयोग का दो सदस्यों का एक दल बालगृह, मथुरा, में स्थानांतरित की गयी लड़कियों की दशा का जायजा लेने वहां गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों में महिला-उन्मुखी बजट-व्यवस्था के पक्ष में

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र सरकार से सभी केन्द्रीय मंत्रालयों में महिला-उन्मुखी बजट-व्यवस्था करने को कहा है। आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा "हमने मांग की है कि कुल योजना व्यय का 30 से 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाये। यह पैसा उनकी शिक्षा तथा कल्याण पर खर्च हो। इस समय, चार मंत्रालयों ने महिला-उन्मुखी बजट-व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि सभी मंत्रालय यह करें।"

वित्त मंत्रालय ने संबंधित अभिकरणों द्वारा महिला-उन्मुखी ऑडिट कराने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। आयोग ने देश के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 11 प्रतिशत करने की मांग भी की है। असम में यह केवल 2 से 3 प्रतिशत ही है।

इरानी प्रतिनिधि-मंडल का आयोग में आगमन

इरान का एक महिला प्रतिनिधि-मंडल आयोग आया और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों से बातचीत की।

इरानी प्रतिनिधि-मंडल डॉ. गिरिजा व्यास के साथ।

प्रतिनिधि-मंडल आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने चंडीगढ़ में मीडिया के लोगों की एक बैठक में भाग लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग की विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों, नारी भ्रूण-हत्या, यौन उत्पीड़न, 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम, अ-निवासी भारतीयों के विवाह आदि विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया।

  बाद में, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं की शिकायतों संबंधी जन सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने महिलाओं से अपनी शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजने का आग्रह किया और वायदा किया कि आयोग निश्चय ही उन पर गौर करेगा।

सुश्री अब्रार (बायें) जन सुनवाई के दौरान पंजाब महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री परविंदर कौर के साथ।

- छत्तीसगढ़ में 'सलवा जादुम' शिविरों की जनजाति महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का समाचार मिलने पर सदस्या मालिनी भट्टाचार्य और मंजु एस. हेमब्रोम स्थिति का जायजा लेने वहां गयीं। शिविरों में जाने से पूर्व, वे वहां के जिलाधीश से संक्षिप्त ब्यौरा प्राप्त करने के लिए मिलीं। दांतेवाला पहुंचने पर लगभग 100 महिलाएं उनसे मिलीं जिनमें से बहुतों ने कहा कि नक्सली हिंसा के परिणामस्वरूप उनके परिवारों के कुछ सदस्य मारे गये हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की राशि कुछ महिलाओं को अभी तक नहीं मिली थी। सदस्याओं ने ऐसे सभी मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल जिलाधीश को भेज दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग का दल जगदलपुर सेंट्रल जेल भी गया और नक्सलियों की कथित सहायता करने के आरोप में जेल में बंद जनजाति महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार की जांच की। लड़के-लड़कियों को, जिनमें से कुछ तो नाबालिग थे, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में भर्ती किया जा रहा था और उन्हें शस्त्र दिए जा रहे थे। सुश्री भट्टाचार्य ने मणिपुर के दूरस्थ गांव पारबुंग में एक जागरूकता शिविर में भी भाग लिया।

सदस्या मालिनी भट्टाचार्य पारबुंग में जागरूकता शिविर में

- सदस्या निर्मला वेंकटेश बंगलोर गयीं और सुश्री शांतालता की इस शिकायत की जांच की कि उनका जीजा पेरूमल एक लम्बे अरसे से उनका बलात्कार और यौन शोषण कर रहा था। सदस्या ने आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के लिए शांतालता से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने एवं संबंधित अधिकारी या जिलाधीश के पास भी पहुंच करने को कहा। बाद में उन्होंने सुश्री रानी तथा श्रीमती गंगम्मा की शिकायतें सुनीं कि उन्हें अपने पतियों तथा सास-ससुर द्वारा सताया जा रहा है।
- सदस्या नीवा कंवर कोटद्वार और हरिद्वार गयीं और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित व भारतीय राष्ट्रीय जवान परिषद् द्वारा आयोजित 'मुफ्त कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' में भाग लिया। समें एकत्रित 500 महिलाओं को सम्बोधित करते हुए सुश्री कंवर ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को बहुत से अधिकार प्रदान किए हैं, किंतु महिलाओं को उनसे अवगत होना आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को राष्ट्रीय महिला आयोग में भेजने को कहा और बताया कि आयोग उन पर कार्यवाही करेगा। महिलाओं के लिए विशेष शिविर लगाने के सिलसिले में वह स्वामी रामदेव की पातंजलि योग पीठ भी गयीं। इंदौर में उन्होंने मानवाधिकारों एवं महिला अधिकारों पर एक समारोह में भाग लिया तथा मानवाधिकार दिवस एवं मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर की घोषणा की अवधारणा तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। गुवाहाटी में सुश्री कंवर ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार पर प्रायोजित एक कार्यशाला में भाग लिया। विभिन्न और सरकारी संगठनों के लगभग 300 प्रतिनिधि कार्यशाला में उपस्थित थे जहां अनैतिक व्यापार की समस्याओं तथा समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर चर्चा हुयी।

सुश्री नीवा कंवर (बायें से द्वितीय) कानूनी जागरूकता शिविर में दीप प्रज्वलित करते हुए

महत्वपूर्ण निर्णय

● प्रसूति अवकाश बढ़ाना : बरखास्त अध्यापिका को उच्च न्यायालय द्वारा राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लेक्चरर को, जिसे प्रसूति अवकाश बढ़ाने की अर्जी देने पर उसके कालिज ने बरखास्त कर दिया था, बहाल किए जाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने पूरा बकाया वेतन देने का आदेश दिया और कहा कि प्रसूति लाभों के हकदार कर्मचारियों को "विशेष देखभाल" की सुविधा प्रदान की जाये। न्यायाधीश ने कहाः "प्रसूति पर विशेष प्रावधानों के होने तथा छुट्टी बढ़ाने की अर्जी के बावजूद, जिसकी वह हकदार थी, नियोक्ता ने नियमों के उल्लंघन में उसकी सेवा समाप्त कर दी।"

● आदर्श निकाहनामा को शिया बोर्ड की स्वीकृति

मुस्लिम महिलाओं की संरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अखिल भारतीय शिया मुस्लिम वैयाक्तिक कानून बोर्ड ने एक आदर्श *निकाहानामा (विवाह संविदा)* स्वीकार किया जो उन्हें तलाक के वही अधिकार प्रदान करता है जो पुरूषों को प्राप्त है।

यदि मुस्लिम महिलाओं के साथ धोखा किया जाता है या उन्हें शिक्षा के अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वे तलाक मांग सकती हैं। निकाह के समय गलत सूचना देने वाला पुरुष यदि दो वर्ष के लिए लापता हो जाये, अथवा पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर करे, तो भी तलाक लिया जा सकता है। *निकाहनामा* में प्रावधान किया गया है कि पुरुष दहेज नहीं मांग सकता। इस विवाह संविदा में, विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों अपनी शर्तें प्रस्तुत कर सकते हैं।

● महिला की मृत्यु के लिए सात वर्ष तक परिवार की जवाबदेही

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हो जाये तो न्यायालयों द्वारा पति अथवा उसके परिवार पर आरोप तय किया जा सकता है।

● पुनर्विवाह बच्चे की अभिरक्षा के मामले में बाधक नहीं

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भले ही हिन्दू विधि में पिता बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक हो, तो भी तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह के बाद बच्चे की अभिरक्षा पाने की हकदार है।

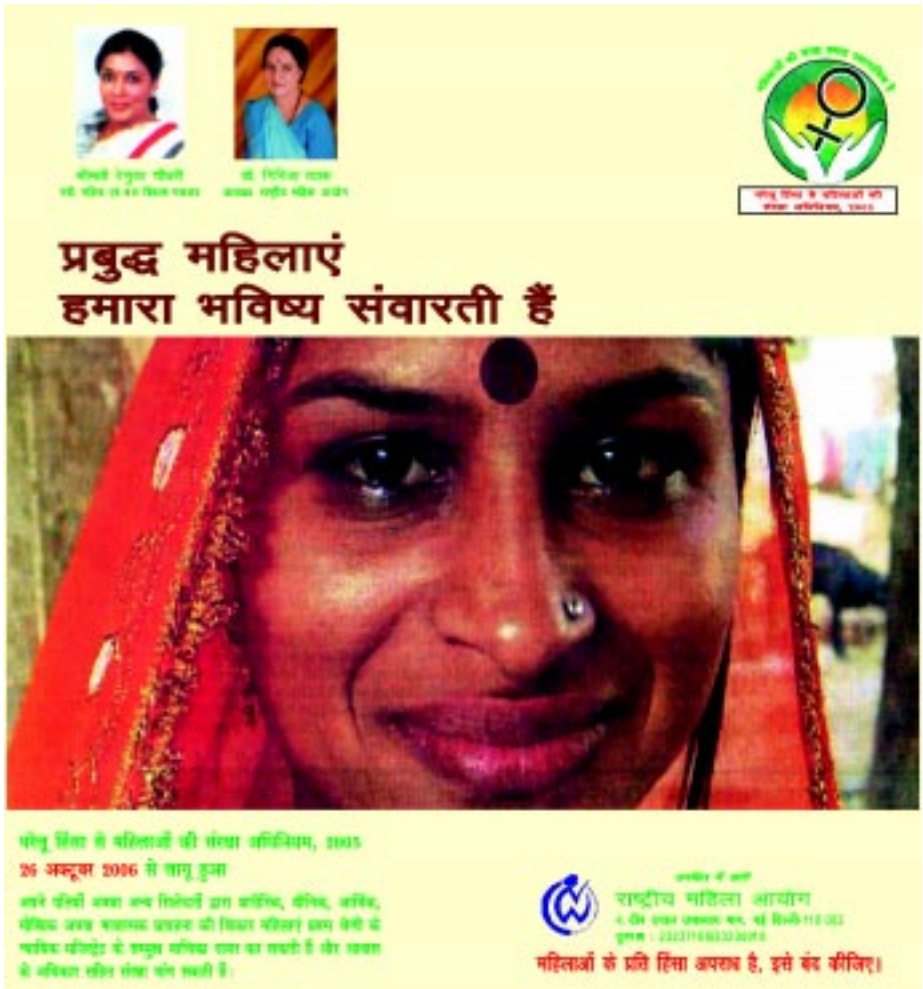

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन